



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 5058

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44908 सन् 2025

दिलशाद

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	माधव नंद शुक्ला, पिंटू कुमार भारतीय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ब्रीफ धारक सुश्री अनीता सिंह को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन बीएनएसएस की धारा 483 के तहत आवेदक दिलशाद की ओर से मामला अपराध संख्या 321/2025 में, मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/60(2) के अंतर्गत, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फर नगर में, विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 6.700 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी को स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं किया गया है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान अपराध में अनावश्यक उत्पीड़न करने और उसे पीड़ित बनाने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 23.11.2025 से जेल में है, जिसके दो मामलों के आपराधिक इतिहास को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है, जमानत पर रिहा किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है, इसलिए आवेदक किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधि में शामिल होगा।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, इसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि पर मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियां, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुरक्षित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य का व्यापक हित और अन्य परिस्थितियां, लेकिन मामले के गुणों पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपर्युक्त मामला अपराध में शामिल आवेदक-**दिलशाद** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में शामिल नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण की जांच की जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।